

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापक 1032/आ0प्र0 दिनांक 25.09.14 एवं ज्ञापक 1423/आ0प्र0 दिनांक 22.10.14 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीर्ष - 02 खाद्यान-बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष 101, अनुग्राहिक राहत, उप शीर्ष - 0002 खाद्यान की आपूर्ति विपत्र कोड एन० 2245021010002 मद् मे क्रमशः 4,50,00,000.00 (चार करोड़ पचास लाख) रुपये एवं 6,23,25,000.00 (छः करोड़ तेईस लाख पचीस हजार) कुल 10,73,25,000.00 (दस करोड़ तिहत्तर लाख पचीस हजार) रुपये प्रभारी उप समाहर्ता, आपदा प्रबंधन पटना को उपावंटित की गयी राशि में से 4,50,00000.00 (चार करोड़ पचास लाख) रुपये की निकासी करने के पश्चात् शेष राशि मो० 6,23,25,000.00 (छः करोड़ तेईस लाख पचीस हजार) रुपये को निम्नरूपेण बाढ़ प्रवण अंचलों में उपावंटित करते हुये सम्बन्धित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2014-15 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा आदेश ज्ञापक 1423/आ0प्र0 दिनांक 22.10.14 को विलोपित किया जाता है।

मांग संख्या-39, विषय शीर्ष-21 03-आधार/पथ्य

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का विवरण	पूर्व उपावंटन	वर्तमान उपावंटन	योग
1	2	3	4	5
01	अंचलाधिकारी,बेल्छी	00.00	18167926.00	18767926.00
02	अंचलाधिकारी,घोसवरी	00.00	18153829.00	18753829.00
03	अंचलाधिकारी,मोकामा	00.00	97866.00	97866.00
04	अंचलाधिकारी,फतुहा	00.00	2254248.00	2254248.00
05	अंचलाधिकारी,दनियावां	00.00	691680.00	691680.00
06	अंचलाधिकारी,बाढ़	00.00	1608156.00	1608156.00
07	अंचलाधिकारी,पंडारक	00.00	1979934.00	1979934.00
08	अंचलाधिकारी,बख्तिरपुर	00.00	3508704.00	3508704.00
09	अंचलाधिकारी,अथमलगोला	00.00	7266924.00	7266924.00
10	अंचलाधिकारी,खुशरूपुर	00.00	8595733.00	8595733.00
	कुल	00.00	62325000.00	62325000.00

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीर्ष - 02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष 101, अनुग्राहिक राहत, उप शीर्ष - 0002 खाद्यान की आपूर्ति विपत्र कोड एन 2245021010002 मद् में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद् मे किया जाय जिस मद् के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किंसी भी अन्य मद् में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन भारत सरकार के विहित प्रपत्र में एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी

जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[बी० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2014 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,  
पटना।

ज्ञापांक 150 / आ०प्र०, दिनांक 29/01/15

प्रतिलिपि :- सम्बन्धित अंचलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी, बाढ़ एवं मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
जिला पदाधिकारी,  
पटना।